eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

भारतीय समाज में नारी की दुर्गति का एक मनौवेज्ञानिक अध्ययन

[1]डॉ0 कृपाल सिंह
[1]पूर्व शोधार्थी, मनोविज्ञान, एस0वी0 कालेज अलीगढ।

Received: 12 Jan 2020, Accepted: 19 Jan 2020, Published on line: 30 Jan 2020

Abstract

आज महिला को साथ लेकर चलने वाले राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानन्द, राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी जैसे महापुरूषों के देश में, पुरूषों, द्वारा महिलाओं पर हिंसा अब रोज की बात हो गयी है, जिसमें औरतों को पीटा जा रहा है, घूरा जा रहा है, उन पर फिकरे कसे जा रहे हैं, उन्हें जलाया जा रहा है, नंगा करके घुमाया जा रहा है, उनका यौन शोषण हो रहा है, उन पर तेजाब फैंका जा रहा है, सामूहिक बलात्कार किया जा रहा है, महिलाओं को यातनाऐं दी जा रही हैं और क्रूरतापूर्वक महिलाओं की हत्या कर दी जा रही है और ये दरिंदगी सहन करने के लिए उन पर दबाव बनाया जा रहा है । नैना साहनी के टुकड़े, भँवरी देवी कांण्ड, सोनाली मुखर्जी का तेजाब से जला चेहरा, अलीगढ उ0प्र0 में 29 दिसम्बर 2017 को एक ही परिवार के पाँच लोगों पर तेजाब से हमला, राजधानी दिल्ली में दामिनी को दी गयी यातनाऐं, राजस्थान में 11 वर्ष की बच्ची के 14 ऑपरेशन, ओहियों में सामूहिक दुष्कर्म, इससे पता चलता है कि आज अपराधियों की मानसिक विकृति किस स्तर की हो गई है। इन दरिंदों ने पूरे भारत वर्ष में 2 से 60 वर्ष तक की महिलाओं के साथ इतनी दरिंदगी की है कि आज भारत में एक भी हॉस्पीटल ऐसा नहीं बचा है, जिसमें पीड़ित महिलायें भर्ती न हों ।

मुख्य शब्दः– पीड़ा, कष्ट, थकान, दुख, क्लेश, दबाव, प्रताड़ना तथा परेशान करना।

प्रस्तावना

महिला अधिकारों के लिए काम करने वाले सूचना व सहायता केन्द्र **थॉमस रायटर्स ट्रस्ट लॉ वॉमेन''** के एक सर्वे के अनुसार, भारत महिलाओं के लिए सबसे खतरनाक जगहों में आता है और इस श्रेणी में उसका साथ देने वाले अन्य देश हैं, अफगानिस्तान तथा सोमालिया।

ब्रिट्रिश अखबार **''द गार्जियन''** ने भारत को महिलाओं के लिए जी–20 के सभी देशों में बदतरीन जगह दर्ज किया है जो आज की सरकार की सबसे खराब स्थिति हैं क्योंकि भारत सरकार आज सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा से सम्बन्धित सिर्फ कोरी भाषणबाजी में ही मस्त है ।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

महिलाओं पर अत्याचार की सच्चाई आँकड़ों में

''सीवन एंडरसन और देवराज रे'' नामक अर्थशास्त्रियों ने अपने शोधपत्रों ''मिसिंग वूमेन एंड डिजीज'' में आंकलन किया गया है कि भारत में हर साल बीस लाख से ज्यादा महिलाऐं लापता हो जाती है इस मामलें में दो राज्य हरियाणा और राजस्थान अव्वल हैं । यह लोग अन्य राज्यों से अपहरण की गयी नाबालिग लड़कियों को खरीदकर उन्हें जबरदस्ती पत्नी बनाकर रखते है । वरन शोधपत्र के अनुसार आज ज्यादातर महिलाओं की मौत जख्मों से होती है जिससे यह पता चलता है कि महिलाओं के साथ हिंसा होती है, 15 से 19 वर्ष की उम्र में ही हर वर्ग की महिलाऐं कभी न कभी यौन प्रताड़ना का शिकार होती हैं । वर्ष 2011 के पुलिस आंकड़े बताते हैं कि देश में लड़कियों के अपहरण के मामले 19.4 प्रतिशत बढे हैं । 1971 से 2011 की अवधि में महिला हत्या के मामलों में 250 प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गयी हैं । **भारत के नेशनल अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों** के अनुसार 22 मिनट में एक बलात्कार की घटना होती है, इस देश में बीते 4 दशकों में बलात्कार के अपराध में सर्वाधिक 873.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है । 2011 में ऐसे मामलों में सजा की दर केवल 26.4 प्रतिशत थी जबकि कुल महिला अपराधों के 83 प्रतिशत मामले अभी कोर्ट में लम्बित हैं, सन 2007 और सन 2016 के बीच महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा के मामलों में 83 प्रतिशत बढोत्तरी हुई है । दहेज मामलों में लड़कियों की मौत में 2.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुयी है, सबसे ज्यादा चिंता की बात यह है कि लड़कियों की तस्करी के मामले 122 प्रतिशत बढ़े हैं । हैदराबाद जैसे शहर में खाड़ी देशों में प्रतिवर्ष लड़कियों की तस्करी बड़ी संख्या में होती है । यह सभी कार्य सभ्य पुरूष करता है और करवाता है और इस गलत काम को अपना रोजगार समझता है लेकिन एन0सी0आर0बी0 की 23 अक्टूबर 2019 की रिपोर्ट के अनुसार उ0प्र0 महिला अपराधां में अव्वल हैं ।

महिलाओं पर अत्याचार में शामिल हैं –

जो बालक घरेलू हिंसा प्रतिदिन देखते हैं, जिसमें पिता शराब और नशीले पाउडर का सेवन कर माँ को बुरी तरह पीटता है, गाली देता है और उसके घायल शरीर पर पड़े नीले निशान और चेहरे से छलकते खून को देखकर हँसता है, जबकि माँ की चीख पुकार, सिसकियाँ और थोड़ी देर बाद सामान्य होकर दर्द से कहराते हुए घर के काम में लग जाना । जैसे कुछ हुआ ही नहीं । माँ, पिता की निर्ममता, कठोरता और अत्याचार का कोई प्रत्युत्तर नहीं देती । इन बालकों को युवा होते–होते ऐसे दृश्यों की आदत हो जाती है और स्वाभाविक है इनके अन्दर कोमलता पनपी ही नहीं होगी, इसलिए बालिग होने से पहले ये दरिंदे बन सकते हैं । दूसरी तरफ यदि ये बालिग हो जाते

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

हैं, उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं, उच्च पदों पर पहुँच जाते हैं, राजनीति में ऊँची पहुंच भी बना लेते हैं, किन्तु जहाँ भी जाते हैं देश के हर कोने में इन अनियंत्रित, संस्कार रहित, झगड़ालू, कुंठित लोगों के निशाने पर अक्सर निर्दोष महिलाऐं ही होती हैं। गलत लोगों की बजय से ही आज देश का अपमान इसके बाद भी होता है ।

लगातार आगे बढ़ रही है नारी–

अवला समझी जाने वाली भारतीय महिला इस कदर ऊँचाईयों को छूऐगी यह पुरूषों की कल्पना से परे था पुरूषों के पारम्परिक गढ़ में छाप छोडने वाली मीडिया द्वारा ''अग्निपुत्री'' की उपाधि से नवाजी गयी ''टेजी थामस'' ने अग्नि–5 मिसाइल का सफल प्रक्षेपण कर अपने आदर्श ''एपीजे अब्दुल कलाम'' की परमपरा को आगे बढाया है। ''थामस'' देश की पहली महिला हैं जिसने किसी मिसाइल प्रोजेक्ट का नेतृत्व किया है । जबकि चण्डीगढ़ की 12वीं पास सनमीत कौर ने के0बी0सी0 में पाँच करोड़ जीतकर इतिहास रच दिया है । जे0के0 रोलिंग ने हैरीपौटर जैसे चरित्र की रचना कर दुनियाँ में नाम कमाया । पुरूष प्रधान समाज की अवधारणा अब महिला के दिमाग में कम हीं हैं । क्योकि शिक्षित, समझदार होकर वह विकास में पूर्ण योगदान कर रही है । पुरूष भी उसका सहयोग कर रहे हैं किन्तु कुछ पुरूषों, जिनमें नेता, अभिनेता, सांसद, विधायक, नौकरी पेशा, विद्यार्थी, डॉक्टर, वकील, पुलिस वाले, सेना के जवान, आम आदमी और रोज कमाने खाने वाले हो सकते हैं, की आँखों में महिलाओं के प्रति ईष्या और व्यभिचार की तड़प पढ़ी जा सकती है । यह उसकी छोटी स्कर्ट, मुस्कराहट, नौकरी और तरक्की को लेकर हो सकती है । उन्हें अपने घर की खबर नहीं पर गली की कौन सी लड़की कब टयूशन जाती है, कब बस से यात्रा करती है यह सब उन्हें रटा पड़ा रहता है, ये लोग ही प्रभाव दिखाने के लिए उस पर अत्याचार कर पुरूष प्रधानता दिखाते हैं । इन्होंने हर रिश्ता कलंकित कर दिया है, इनके कारण पूरी पुरूष विरादरी बदनाम हो रही है । स्त्री लिंगानुपात कम हो रहा है तथा भारतीय समाज विखराव की ओर अग्रसर है । अब जरूरत है इन्हें पहचानकर भारतीय समाज से उखाड़ फेंकने की और महिलाओं ने इस ओर कदम बढ़ा दिये है ।

वर्तमान भारतीय स्थिति –

अब यह स्थिति हो गयी है कि जब बच्चियाँ घर से बाहर जाती हैं तो और अपने ईश्वर से मन्नत माँगती रहती है कि वे सही सलामत घर लौट आयें, सही मायने में कोई माँ–बाप अपनी बेटियों को लेकर निश्चित नहीं है कई बार लगता है कि राजस्थान में जन्म लेते ही बेटियों को मार देने की प्रथा कहीं ऐसी ही आशंकाओं की देन तो नहीं थी। उन दिनों आक्रमणकारी या सरहदों के पार से

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

आने वाले आतंकी लड़कियों को उठाकर ले जाते थें तब शायद कमजोर के पास मुक्ति के ऐसे ही रास्ते बचते थे । सती होने के पीछे भी इसी तरह की आशंकाऐं रही होंगी। जब राजा हार जाते थे तो विजेता सबसे पहले रानियों का हरण करता था। रानी पद्मनी का सखियों सहित अग्नि में कूदकर जौहर कर लेना इसका उदाहरण है इसका। स्त्रियाँ शक्ति, दबंगई, सत्ता का सबसे अधिक शिकायत होती हैं। अब तेजाब फेंकने और सामुहिक बलात्कार की घटनाऐं हमारी बहूँ, बेटियों में कमोवेश उसी तरह की असुरक्षा की भावना भर रही हैं। अनेक बच्चियाँ छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या कर लेती हैं। आम जनता की वेवशी ऐसी है कि उनकी रपट तक पुलिस थाने में नहीं लिखी जाती, 70 प्रतिशत मामले अनरिपोर्टेड हैं। आज लड़कियों के साथ जो कुछ हो रहा है उससे अधिक पीड़ादायक कुछ भी नहीं है। दुर्भाग्य से समाज भी उन्हीं को दोषी समझकर उनकी उपेक्षा करता है और उनका खामेश बहिष्कार कर देता है। यहाँ तक कि उसके मनोवैज्ञानिक और सामाजिक कारणों में न घुसकर लीपा–पोती करके चुप हो जाता है परन्तु कुछ ईमानदार मीड़िया के लोगों द्वारा सच्चाई को सामने लाने का भी प्रयास किया जा रहा है।

मंदी के दौरान महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव –

प्लान इन्टरनेशनल एण्ड ओवरसीज संस्था का ताजा शोध बताता है कि दुनियाभर में मंदी की मार सबसे ज्यादा महिलाओं और लड़कियों पर पड़ती है और उन्हें अपनी प्राथमिक शिक्षा अधूरी छोड़नी पड़ती है। प्राथमिक स्कूलों में 27 प्रतिशत बच्चियों को बीच में पढ़ाई छोड़कर माँ के साथ चूले चौके में हाथ बांटना पड़ता है, जबकि इसके मुकाबले लड़कों की संख्या 22 प्रतिशत है।

विश्व बैंक द्वारा दुनियाँ के 59 देशों में किये गये सर्वे–

इस सर्वे में यह नतीजा निकला है कि यदि अर्थव्यवस्था 1 प्रतिशत लुढकती है तो प्रति हजार बच्चों में मरने वाले नवजात बच्चों का प्रतिशत 7.4 होता है, जबकि लड़कों का 1.5 प्रतिशत है अर्थात मंदी का असर लड़कियों के अस्तित्व पर भी पड़ रहा है। भारत जैसे देश में लड़कियों को गर्भ में मार देने की अर्थात कन्या भ्रूण हत्या की सोच के पीछे मनुष्य मनोविज्ञानक रूप से जिम्मेदार है। यह मनोविज्ञान इस आधार पर कार्य करता है कि पुरूष की आमदनी का मुख्य स्त्रोत क्या है। ऐसे में उसकी सुख सुविधा में कमी उत्पादकता पर असर डालेगी, लिहाजा महिलाऐं अपनी जरूरतों में कटौती कर लेती हैं और बाद में यह क्रिया पीढ़ियों का हिस्सा बन जाती हैं।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

स्त्रियों से जुड़े कानूनों में हैं अभी कई कमियाँ –

महिलाओं को सबसे ज्यादा निराशा कानून की धाराओं से होती हैं जो इस प्रकार हैं –

कानून–1 सड़क दुर्घटना में हाउस वाइफ को कम मुआवजा–

मोटर वाहन अधिनियम की धारा–6 में आय के आधार पर मुआवजा तय है। इस धारा में दुर्घटना के पीड़ितों को 2 वर्गो में बांटा गया है। पहला न कमाने वाला व्यक्ति, दूसरा पत्नी । इसमें घरेलू महिला के दुर्घटनाग्रस्थ होने पर मौत पर पति की आय के एक तिहाई हिस्से को मुआवजे का आधार बनाया जाता है। यह वर्गीकरण घरेलू महिला के महत्व का समुचित मूल्यांकन नहीं है। घर के सभी कामकाज महिलाओं के हवाले होते हैं। ऐसे में उनके महत्व का मूल्य स्पष्ट है।

कानून–2 जारकर्म (अडल्ट्री) कानून में भेदभाव–

यह कि कानून पति को अपनी पत्नी के साथ सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति के खिलाफ भा0द0स0 की धारा–497 के तहत कार्यवाही का अधिकार प्रदान करता है, लेकिन पत्नी को पति के साथ सम्बन्ध रखने वाली महिला पर कानूनी कार्यवाही का अधिकार नहीं है। यदि पति के साथ कोई महिला सहमति से सम्बन्ध रखती है तो पत्नी कुछ नहीं कर सकती हैं।

कानून–3 पति से तलाक तो सम्पत्ति पर कोई हक नही–

पति यदि तलाक लेता है तो पत्नी का उसकी सम्पत्ति पर कोई अधिकार नही रहता। उसे गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। जहाँ एक मुश्त या मासिक भत्ता तय किया जाता है। पति बेरोजगार है तो पत्नी के लिए और बड़ी मुसीबत वह कुछ नहीं ले सकती। भले ही पति के पास सम्पत्ति हो और वह उसका उपयोग कर रहा है।

कानून–4 सेना में महिलाओं को अस्थाई कमीशन–

सेना अधिनियम 1950 में भी महिलाओं को समान अधिकार नहीं है। उनसे सिर्फ अस्थाई कमीशन के तहत सेवाऐं ली जाती हैं। इस पर हाईकोर्ट महिलाओं के पक्ष में फैसला दे चुका है और अब मामला सुप्रीम कोर्ट में हैं। सरकार भी सेना के इस तर्क से सहमत है कि महिलाओं को जंग के दौरान मौचे पर भेजना उचित नहीं है।

कानून–5 ऑफिस में छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न कानून नहीं –

कार्यालयों में महिलाओं से छेड़छाड़ और यौन उत्पीडन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में फैसला दिया, इसके बावजूद सरकार कानून बनाने में हिचक रही है। तमाम सर्वेक्षणों में यह सामने

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

आया है कि भारत में काम करने वाली महिलाओं को कार्यालयों में आये दिन छेड़छाड़ व यौन उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता है।

कानून–6 किशोर अपराध द्वारा महिला हिंसा पर सख्त कानून नहीं –

1989 में बच्चों के अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र संघ का अधिवेशन हुआ जिसमें किशोर की परिभाषा में लड़का एवं लड़की दोनों के लिए उम्र 18 वर्ष कर दी गयी, जिसे भारत सरकार ने 1992 में स्वीकार किया और वर्ष 2000 में किशोर न्याय कानून बनाया गया जिसमें इन किशोर अपराधियों के लिए जघन्यतम मामलों में अधिकतम 3 वर्ष की ही सजा हो सकती है । जबकि सामूहिक बलात्कार में उस प्रतिभाशाली युवती के साथ सर्वाधिक वर्वरता करने वाला अपराधी किशोर बताया गया है। ऐसे खूंखार अपराध सस्ते में छूट जाते हैं और पुनःऐसी घटनाओं को अंजाम देने के लिए तैयार रहते हैं।

कानून–7 टू फिंगर टेस्ट– डाक्टरों द्वारा जारी अपमानजनक प्रक्रिया –

बलात्कार पीड़ित का मेड़ीकल टैस्ट जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 2003 में दुराग्रही कहा था किन्तु भारत में डाक्टर्स अभी भी इसे जारी रखे हुए हैं जबकि ज्यादातर देशों में इसे पुरातन, अवैज्ञानिक, स्त्री की निजता और गरिमा पर हमला बताकर खत्म कर दिया है।

सामाजिक अत्याचार–

स्त्रियों के विरूद्ध खाप पंचायतों द्वारा दिये गये फैसले और निर्ममतापूर्वक उन्हें पालन करने को बाध्य करना, पुलिस का महिला अपराधों के प्रति लापरवाह होना, नेता एवं अधिकारियों के पुत्रों द्वारा विश्वविद्यालय की महिला प्राध्यापिकाओं को सरेआम थप्पड़ जड़ देना, वकीलों द्वारा उन्हें अदालत में चरित्रहीन साबित कर देना, पुलिस का उन्हें थाने से भगा देना, यहाँ तक कि संगीतकार और गायक कन्या लंगुरा के भजनों तक में महिलाओं को अपमानित कर रहे हैं।

धर्म के नाम पर उत्पीडन–

हमारे देश में अक्सर हमारी प्राचीन परमपराओं के ठेकेदार कहते हैं कि ऐसे विचार पश्चिम से आऐ हैं हमारी भारतीय सभ्यता में खोट डालने। गलत कहते हैं ये लोग, इसलिए कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि सुरक्षा ऐसी होनी चाहिए महिलाओं की, कि एक तबायफ भी सड़क पर चलते हुए अपने आपको सुरक्षित समझकर चल सके।

हमारे देश में प्रख्यात साधु–सन्तों का स्थान ले चुके पुरूष, जिनकी पृष्ठ भूमि में जाऐं तो पाएगे कि जिनके घर में दो वक्त की रोटी की जुगाड़ मुश्किल से होती थी, और जो व्यवहार से दुर्जन ही थे, इन्होंने भी माली समाज पर मौका मिलते ही भद्दी टिप्पणियाँ कीं, दुराचार किया, विश्वास में लेकर

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

उन्हें पतन की ओर ले गये। झाड़, फूंक के नाम पर, संतान पैदा होनपे का झांसा देकर, नौकरी के नाम पर महिलाओं को ठगते रहे, सही की जगह हमेशा से गलत रास्ता ही उन्हें दिखाया।

राजनैतिक उत्पीडन –

इस स्थिति के लिए कहीं न कहीं हमारी राजनीतिक व्यवस्था भी जिम्मेदार है जिसमें ऐसे लोग संसद और विधानसभा में पहुंचने में सफल हो जाते हैं जिनके खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न और हत्या के मामले दर्ज हैं। इस मामले में कोई भी राजनीतिक दल अपवाद नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में तमाम राजनीतिक दलों ने ऐसे छः लोगों को टिकट दिये थे जिन पर बलात्कार के मामले दर्ज थे। ऐसे लोग चुनाव जीतकर मंत्री बनते हैं तो इनके क्षेत्र की लाखों महिलाओं के मन में असुरक्षा घर कर जाती है। हमारे कुछ राजनेता तो भड़कीले कपड़ों में स्त्रियों से अपनी पार्टियों में अश्लील नृत्य करवाते हैं, उन पर नोट बरसाते हैं और जिन्हें सिर्फ बोलने से मतलब हैं, बेतुका ही सही, क्योंकि महिला के प्रति शिष्टाचार, सम्मान और अच्छी सोच के मायने उन्हें पता ही नहीं, वो इसलिए कि आज नेता बनने का कोई मानक हमारे देश में तय नहीं है। इसलिए पता ही नहीं चलता कि नेता शिक्षित हैं या साक्षर के समकक्ष भी नहीं। देश में जब भी किसी महिला के साथ दिल दहला देने वाली घटना होती है तो ये लोग उसके खान–पान, पहनवो में बदलाव से लेकर उसके विवाह की उम्र 15 वर्ष करने की वकालत करते हैं साथ ही ऐसी भद्दी टिप्पणियाँ करते हैं कि सारा देश शर्मसार हो जाता है। ऐसा होता है हमारे असभ्य नेताओं के कारण हैं। महिलाओं की दुर्गति का। अतः महिलाओं की सुरक्षा और अस्मिता का मसला आज राजनीतिक सुधार से भी जुड़ा है, जिस पर ध्यान न देना बहुत बड़ा ही कारण है।

घर परिवार का दबाव –

दोष सिर्फ पुरूषों पर डालना गलत होगा क्योकि अगर भारत के पुरूष औरतों को वस्तु समझकर इस्तेमाल करते हैं तो उन्होंने यह बात सीखी है अपनी माताओं से। बचपन से भारत के बेटों को मॉ सिखाती हैं कि उनका दर्जा उनकी बहनों से ऊपर है। बलात्कार और यौन अपराध के 96 प्रतिशत से ज्यादा मामलों तथा घरेलू हिंसा, दहेज हत्या में अधिकतर परिवारीजन और जानकार ही शामिल होते हैं। ऐसे में पीड़िता पर रिश्तेदार व समाज अपराध के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज नहीं कराने के लिए दबाब बनाते हैं व धमकाने की शैली में पूछते हैं कि क्या तुम चाहती हो उसे फांसी की सजा

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

हो और फिर उसका परिवार, समाज हमारा सामाजिक वहिष्कार कर दें ? इस तरह पीडिता को चुप करा दिया जाता है।

महिला पर अत्याचार से निपटने हेतु सुझाव–

- पूर्व प्रधान न्यायाधीश ''जस्टिस एम एन वेकंटचलैया'' के इस सुझाव पर गौर किया जा सकता है कि अपराध सजा होने के डर से रूकते हैं, न कि सजा की कठोरता से। जाहिर है महिलाओं की सुरक्षा और उनकी अस्मिता की लड़ाई सिर्फ कानूनों से नहीं लड़ी जा सकती। इसके लिए समाज को भी बदलना होगा।
- सजा ऐसी होनी चाहिए जो दूसरों को ऐसे अपराध करने से रोक सके और सम्मानित अपराधियों के मन में डर पैदा करने में समर्थ हों।
- मुकदमों में निपटारें में देरी महिलाओं के खिलाफ अपराधों में बढ़ोत्तरी का बड़ा कारण है। महिलाओं के खिलाफ अपराधों से सम्बन्धित मामलों में तेजी से निपटारे के लिए फास्ट ट्रेक अदालतों का गठन होना चाहिए।
- न्यूयार्क और लंदन जैसे महानगरों में अगर कोई टैक्सी वाला सवारी लेने से इंकार करता है तो आप फोरन फोन पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं, वहां नियम होता है कि तीन या चार शिकायतों के बाद लायसेन्स जब्त हो जाता है ड्राईवर का। भारत में भी ऐसा सख्त नियम लागू होना चाहिए।
- हाल के वर्षो में किशोर अपराधियों द्वारा महिला हिंसा के मामलों में वृद्धि हुई हैं, इसलिए किशोर न्याय कानून पर पुनर्विचार की सख्त जरूरत है।
- भारत में वर्तमान में एक लाख की आबादी पर 1.4 न्यायाधीश हैं 1987 में विधि आयोग ने यह संख्या एक लाख की आबादी पर 2 न्यायाधीश करने का खाका तैयार किया था परन्तु 25 वर्ष बाद भी ऐसा नही हो पाया यह उपाय शीघ्र क्रियान्वित होना चाहिए ताकि फैसला तेजी से हो।
- हमारे देश में महिलाओं को प्रशसात्मक अर्थ में सुन्दर, आकर्षक, रूपवती, लावण्यमयी आदि कहा जाता था अब यह सब छोड़कर उन्हें सेक्सी, हॉट कहा जाने लगा है और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा इससे सहमत थीं। इसे प्रचलित होने से रोकना चाहिए अन्यथा महिलाओं पर यौन शब्द इस्तेमाल करने सम्बन्धी भारतीय दंड विधान की धाराऐं 292, 298(ए) और (बी) और 509 दुर्बल हो जाएगी ।

eISSN 2581-8996
[Date]
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 3, Issue 01, Jan 2020

- शिक्षा को रोजगार केन्दित करने के बजाय चरित्र निर्माण केन्द्रित करना जरूरी है। ''मनीमेकर'' बनाने वाली शिक्षा वस्तुतः कुशिक्षा ही है। जो हमारे युवाओं को दी जा रही है और परिणाम घातक के रूप में हमारे सामने है।
- हिंसक अपराधियों और उनसे सम्बन्धित अपराधों की जानकारी एक नेशनल बेवसाइड पर होनी चाहिए और इस बेवसाइड का प्रचार टी0बी0 चैनलों और अखबारों के माध्यम से पूरे देश में होना चाहिए।
- पुलिस सुधारों को तत्काल लागू किया जाय और पुलिस बलों की कार्यपणाली को बेहतर बनाया जाये।
- कितने सांसदों के खिलाफ अपराधिक मामले चल रहे हैं वे संसद के सम्मान को बरकरार रखने के लिए स्वेच्छा से पद त्याग दें, न त्यागों तो जनता आन्दोलन करें। उसे राइट टू रिकॉल का अधिकार मिलना चाहिए।
- महिला को निहारना, घूरना, पीछा करना, निर्वस्त्र करना भी अपराध की श्रेणी में रखा जाय।
- जस्टिस वर्मा कमैटी की सिफारिशें इस दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती हैं।
- अश्लीलता परोसने वाले कॉमैडी शो और हनी सिंह जैसे गायकों पर भी प्रतिबन्ध आवश्यक है।
- सैक्स के बाजार को और फलने–फूलने नहीं देना है, क्योंकि इस प्राकृतिक क्रिया को आज अन्धाुधंध बेचा जा रहा है।
- शोध कार्य जिस वर्ग को ध्यान में रखकर किया जा रहा है उसके परिणाम उस वर्ग तक किसी न किसी रूप में अवश्य पहुॅचने चाहिए। यही इस शोध के सुझाव है।

-Think thank